

प्रेस नोट दि0-15.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार अभियुक्त को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत बोझवा तिराहा के आगे बोझवा प्राइमरी स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 07.05.2025 को वादिनी निवासी ग्राम मिसिरमऊ के साथ आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर वादिनी की पुत्री को जान से मारने की नियत से लाठी डण्डे व धारदार हथियार से मारने के प्रकरण में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 96/25 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 333 ,324(4), 117(2) बीएनएस बनाम 06 नामजद अभियुक्त व 02 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाँ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उ0नि0 श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 गिरीशधर दुबे मय हमराह हे0कां0 अमित कुमार, कां0 अनिल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त 01. हरिशचन्द्र सरोज पुत्र झुरी सरोज 02. अजय कुमार सरोज पुत्र हरिशचन्द्र सरोज निवासी ग्राम मिसिरमऊ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना लीलापुर क्षेत्रांतर्गत बोझवा तिराहा के आगे बोझवा प्राइमरी स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- हरिशचन्द्र सरोज पुत्र झुरी सरोज निवासी ग्राम मिसिरमऊ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
- 2- अजय कुमार सरोज पुत्र हरिशचन्द्र सरोज निवासी ग्राम मिसिरमऊ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 गिरीशधर दुबे मय हमराह हे0कां0 अमित कुमार, कां0 अनिल यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा कुल 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाँ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना कुण्डा के उ०नि० श्री अंकित सिंह मय हमराह हे०का० अशोक कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु०न० 15655/21 धारा 420, 468, 120बी भादवि थाना कुण्डा से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त 01. धर्मराज सिंह पुत्र ननकू निवासी ग्राम पंचमसिंह का पुरवा तिलौरी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना कुण्डा के उ०नि० श्री निर्मल कुमार मय हमराह उ०नि० श्री दुगेश सिंह, कां० रामप्रताप सिंह, कां० मन्दीप सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु०अ०सं० 79/2001 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना कुण्डा से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त 01. लक्ष्मण सिंह पुत्र शमशेर सिंह निवासी ग्राम डेरवा पहाड़पुर बनोही थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. धर्मराज सिंह पुत्र ननकू निवासी ग्राम पंचमसिंह का पुरवा तिलौरी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़
02. लक्ष्मण सिंह पुत्र शमशेर सिंह निवासी ग्राम डेरवा पहाड़पुर बनोही थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ०नि० श्री अंकित सिंह, उ०नि० श्री निर्मल कुमार, उ०नि० श्री दुगेश सिंह मय हमराह हे०का० अशोक कुमार यादव, कां० रामप्रताप सिंह, कां० मन्दीप सिंह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० फिरोज खां मय हमराह कां० दिलीप कुमार, पीआरडी श्रीराम व चालक होमगार्ड शैलेन्द्र मिश्रा के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु०न० 47/22 धारा 504, 506 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी शिवकुमार सरोज पुत्र झल्लुर निवासी ग्राम लपकन थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शिवकुमार सरोज पुत्र झल्लुर निवासी ग्राम लपकन थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० फिरोज खां मय हमराह कां० दिलीप कुमार, पीआरडी श्रीराम व चालक होमगार्ड शैलेन्द्र मिश्रा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू के उ०नि० दिनेश राय मय हमराह कां० जितेन्द्र यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु०न० 310/25 अ०सं० 28/24 धारा 363, 366, 376बी भादवि 3/4 पाक्सो एक्ट थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी रिकू ओझा उर्फ प्रदीप ओझा पुत्र रामकृपाल ओझा निवासी ग्राम कृपालपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रिकू ओझा उर्फ प्रदीप ओझा पुत्र रामकृपाल ओझा निवासी ग्राम कृपालपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० दिनेश राय मय हमराह कां० जितेन्द्र यादव थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 तमंचा देशी .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत छानापार नहर मोड़ के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर उ०नि० श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी के नेतृत्व में दिनांक 15.05.2025 को थाना फतनपुर के उ०नि० प्रभांशू कुमार राय मय हमराह हे०कां० राजेश सिंह यादव व कां० सुजीत यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत छानापार नहर मोड़ के पास से अभियुक्त विशाल यादव उर्फ आर्यन पुत्र अरविन्द यादव निवासी ग्राम छानापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विशाल यादव उर्फ आर्यन पुत्र अरविन्द यादव निवासी ग्राम छानापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से अवैध 01 तमंचा देशी .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 107/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- विशाल यादव उर्फ आर्यन पुत्र अरविन्द यादव निवासी ग्राम छानापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

अवैध 01 तमंचा देशी .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 प्रभांशू कुमार राय मय हमराह हे0कां0 राजेश सिंह यादव व कां0 सुजीत यादव थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

लूट के अभियोग से संबंधित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त सफेद अपाचे मोटर साइकिल व 2,000 रुपये नगद के साथ किया गया गिरफ्तार

थाना हथिगवां पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को भदशिव हाइवे अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

घटना का विवरण-

वादी मोटर साइकिल से घर जा रहा था। आरोपीगणों द्वारा वादी से गाँव शुकुलपुर के पास पैसे व मोबाइल लूट कर फरार हो गये थे। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना हथिगवां में मु0अ0सं0 261/2024 धारा 309(4) बी. एन. एस बनाम 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 14.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 बनवारीलाल पाल मय हमराह का0 गौरव सिंह,, का0 मानवेन्द्र सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना हथिगवां के मु0अ0सं0 261/2024 धारा 309(4), 317(2), 61(2) बीएनएस0 से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त संजय कुमार यादव पुत्र रामपाल यादव निवासी ग्राम कैथवल जगतपुर थाना उत्तरांव जनपद प्रयागराज को लूट के 2,000 रुपये व घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल के साथ थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत भदशिव हाइवे अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2), 61(2) बीएनएस0 की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरे पास दिनांक 16.12.2024 को मनोज प्रजापति और सौरभ यादव के द्वारा रचित षण्यन्त्र कथित लूट की घटना में जो अपाचे मोटरसाइकिल थी वह यह मेरी सफेद अपाचे मोटरसाइकिल थी। जिसे मैं चला रहा था और पैसे की लूट के बटवारे का पैसा मेरे पास है। मैं कानपुर की तरफ जा रहा था यहा पर मैं एक लड़के का इंतजार कर रहा था कि आप लोगों को देखकर पकड़े जाने के डर से भागने का प्रयास किया कि आपलोगो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संजय कुमार यादव पुत्र रामपाल यादव निवासी ग्राम कैथवल जगतपुर थाना उत्तरांव जनपद प्रयागराज।

बरामदगी-

लूट की घटना में प्रयुक्त सफेद अपाचे मोटर साइकिल व 2,000 रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 बनवारीलाल पाल मय हमराह का0 गौरव सिंह,, का0 मानवेन्द्र सिंह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।